RCMS 2019/00149

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

मीरांबाई बनाम सुन्दरलाल आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 71 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
05.07.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। कैवियटकर्ता के अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित आए। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार किया है। स्थगन प्रा.पत्र पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रा.पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पों. के पिता ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु होने पर अपीलांटा से दूसरी शादी की थी। रेस्पों. सं. 2 ता 4 पहली पत्नी की संताने है। बुधराम ने अपनी खरीदशुदा भूमि चक 2पी. एस.डी.ए. का मु.नं. 210/46 कि.नं. 10 ता 18 की भूमि जो उसके स्वयं द्वारा खरीदशुदा थी उसमें से अपीलांट को बतौर परविश हेतु कि.नं. 10 ता 14 की 5.00 भूमि दी थी एवं इसी आशय का दस्तावेज 100/–रूपये के स्टाम्प पर लिखकर दे दिया था। उक्त भूमि पर अपीलांट	

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

की ढाणी बनी हुई है तथा काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण/रेस्पों. अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त होने का अनुचित लाभ उठाकर अपीलाधीन आदेश में वर्णित प्रार्थीया की भूमि को वाद के विचारण होने के बाबजूद प्रार्थीया के विधिक अधिकारों को प्रभावित करने के आशय से बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि रेस्पों. अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपील का मकसद फोत हो जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण अपीलाधीन कृषि भूमि वाके चक 2पी.एस.डी.–ए का मु.नं. 210/46 के 9 बीघा भूमि में से कि.नं. 10 ता 14 कुल 5 बीघा भूमि को रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने अथवा अपीलांट को उक्त भूमि से जबरन कानून को अपने हाथों में लकर बदेखल करने से निषेधित रहे तथा अपीलाधीन भूमि की रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 के अधिवक्ता ने स्थगन पर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि रेस्पों. सं. 1 की खातेदारी भूमि है। किसी खातेदार की भूमि पर कोई अन्य व्यक्ति स्थगन प्राप्त नही कर सकता है। अतः निवेदन है कि अपीलांट का स्थगन प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

स्थगन प्रा.पत्र पर उभयपक्ष की पक्ष की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय के धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय का

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

अवलोकन किया:–

(i) अपीलांट मीरा बाई का विवाह बुधाराम से 20 वर्ष पूर्व हुआ। उन्हीं के पुत्र पुत्री रेस्पोंडेन्ट्स सं. 2 से 4 है।

(ii) प्रथम पत्नी का नाम शीला था। बुधाराम ने अपने जीवन काल में मीरा बाई अपीलांट को इकरारनामें से उसके जीवन यापन हेतु भूमि उक्त मुरब्बा नं. 210/46 के कि.नं. 10–14 कुल 5 बीघा का कब्जा वर्ष 1998 में दिया। बुधाराम की मृत्यु 02.03.12 को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

(iii) बुधाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सरपंच ग्राम पंचायत 2 आर.के.एम.(ए) का जायज वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार :–

(1) मीरा देवी सौतन आयु 50 वर्ष

(2) गिन्दो पुत्री आयु 40 वर्ष

(3) अमर जीत पुत्र आयु 38वर्ष

(4) छिन्दो पुत्री आयु 36 वर्ष

(5) कश्मीर पुत्र 34 वर्ष बताई है।

इससे प्रतीत होता है कि पैरा 1 के कथनानुसार रेस्पों. सं. 2 ता 4 अपीलांट के स्वयं के पुत्र पुत्री ना हो कर उसके सौतेले पुत्र पुत्रियां हैं। रेस्पों. सं. 1 अपीलांट का देवर अर्थात उसके कथित मृतक पति बुधाराम का भाई है।

(iv) अधी. न्यायालय के निर्णय में उल्लेख है कि अपीलांट को बुधाराम की भूमि चक 2 के.एन.एम. तहसील घडसाना के मुं.नं. 49 प.नं. 38/17 के कि.नं. 17–25 में 2.277है0 अ0क0 व मु.नं. 50 प.नं. 38/09 के कि.नं. 1–25 की 6.325है0 कुल 8.602है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा 1.720है0 भूमि प्राप्त हुई जो प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा दिनांक 02.12.2013 को रजि0 विलेख द्वारा बेचान कर चुकी है। अपीलांट ने ना तो बहस में और ना ही अपील में इस तथ्य का कथन किया, ना ही इंकार किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(v) रेस्पों./अप्रार्थी सां. 1 के कथन का अप्रार्थी सं. 2–4 ने समर्थन किया कि अप्रार्थी/रेस्पों. ने कभी विवादित भूमि मुं. नं. 210/46 कि.नं. 10–14 कभी भी बुधाराम को नहीं बेची अपितु यह भूमि अप्रार्थी/रेस्पों.सं. 1 के ही नाम खातेदारी दर्ज थी/रही है। अपीलांट ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये अधी. न्यायालय में कोई समर्थन में दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये।

(vi) अपीलांट ना तो अधी. न्यायालय में ना ही इस न्यायालय में यह संतोषजनक रूप से साबित कर सकी कि बुधाराम की मृत्यु 2012 में होने के पश्चात से 2019 तक 7 वर्ष व्यतीत होने के बाद इतने वर्ष बाद रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उसके कथित कब्जे से बेदखल करने का प्रश्न का औचित्य क्या है? जबकि वह अपने पति से 1/5 हिस्सा प्राप्त कर बेचान 2013 में करने के बिन्दु पर मौन रही।

(vii) अपीलांट ने केवल एक 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखित अपने मृत पति द्वारा लिखाई गई तहरीर इकरारनामा पेश किया है।

(viii) अपीलांट उक्त इकरारनामें के आधार पर अपने देवर की भूमि पर कब्जे व उससे भरणपोषण के अधिकार की दलील देकर न्यायालय के समक्ष अधी. न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील में इस निर्णय को गलत बताते हुए आई है।

(ix) हमारे मन्तव्य में अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

(x) अपीलांट अपने कथित इकरारनामें के आधार पर भरणपोषण हेतु अपने सौतेले बच्चों से Specific performance Act के तहत सिविल न्यायालय से समुचित आदेश प्राप्त कर सकती है। राजस्व न्यायालय इकरारनामें के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आवेदन पत्र व प्रा.पत्र दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। अपीलांट का नियमित वाद अधी. न्यायालय में विचाराधीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(xi) उपरोक्त निष्कर्ष से यह न्यायालय उचित समझती है कि अपील सारहीन होने के कारण दाखिले के स्तर पर निरस्त योग्य है। अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।

(xii) अपील सारहीन व आधारहीन है। अतः अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)